Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 18-12-2006

Participants : Budholiya Shri Rajnarayan

an>

Title: Problems being faced by the children studying in primary schools and burdened with heavy syllabus.

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.):सभापति महोदय, मैं स्कूलीबच्चों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। आज देश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे, जिनकी आयु चार साल से 12 साल तक है, उन्हें उनके वजन के प्रतिशत के आधार पर अधिक वजन के बस्तों को लेकर स्कूल जाना पड़ता है। जहां पर यातायात के साधन तथा नजदीक स्कूल की सुविधा नहीं है, वहां पर इन बच्चों को पैदल ही बस्ता लेकर जाना होता है, जिस कारण बच्चों में पीठ दर्द, कमर दर्द एवं पेट दर्द जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। आज ज्यादातर स्कूलों, विसेकर निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक पढ़ने वाले बच्चों पर बस्तों का बोझ जरूरत से बहुत ज्यादा होने से उक्त शिकायतें बढ़ती जा रही हैं।

इस बात को लेकर कई देशों में सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चे के वजन के दस फीसदी से ज्यादा वजन का बस्ता नहीं होना चाहिए।[R73]

21.00 hrs.

लेकिन भारत में 11 से 14 साल के बच्चों का वजन तो 30 से 35 किलोग्राम होता है, जबकि उनके बस्ते का वजन सात से दस किलोग्राम तक होता है अर्थात निर्धारित सीमा से लगभग दोगुना वजन भारतीय बच्चे वहन कर रहे हैं।

अतः सरकार से बच्चों के भविय निर्धारण के लिए मांग करता हूं कि सरकार के नियंत्रण में चलने वाले स्कूलों एवं अन्य निजी स्कूलों में बस्ते के बोझ को कम कराने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए।